

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित्त भवन 'ए' ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)/अलेसे-III/846

दिनांक:- 30.06.2025

कार्यालय आदेश

नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों के द्वारा निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 261 दिनांक 13.06.2025 द्वारा संबंधित कनिष्ठ लेखाकारों के कॉलम संख्या 04 में अंकित अवधि का कॉलम 05 में अंकित कार्यालयों/संबंधित कोषालयों से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त विभागीय आदेश में संबंधित कनिष्ठ लेखाकारों की उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 04 में अंकित वेतन भुगतान की अवधि की उपस्थिति को प्रमाणित किया जाता है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/भर्ती(2023)/अलेसे-III/846

दिनांक:- 30.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिको का गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)